खंड–1

1 सामुदायिक रेडियो: वर्तमान स्थिति एवं प्रासंगिकता

एम.एस. मीना[1] एवं एस.के. सिंह[2]

1. प्रस्तावना
2. सामुदायिक रेडियो के लाभ
3. सामुदायिक रेडियों की समस्याएं
4. सामुदायिक रेडियो की प्रक्रिया
5. सामुदायिक रेडियो की वर्तमान स्थिति

1. प्रस्तावना

भारत में जहां एक तरफ एंटरटेंनमेंट मीडिया हर साल तरक्की की नई ऊँचाई छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ, एक बड़ी आबादी कम्यूनिटी रेडियो यानी सामुदायिक रेडियो के नाम से बहुत कम परिचित है। सामुदायिक रेडियो का दायरा बेहद छोटा होना और इसके प्रसारण और फायदा पाने वालो का बेहद आम और स्थानीय होना इसके प्रमुख कारण है। यह स्पष्ट है कि रेडियो की ताकत हमारी और आपकी सोच से भी परे है। निजी एफएम चैनल जहाँ बाजार को दृष्टिगत रखते हुये फिल्म संगीत, प्रायोजित कार्यकर्मों तथा विज्ञापनों के प्रसारण द्वारा राजस्व कमाने की प्रतिस्पर्धा में जुटे हुए है वही दूसरी और आकाशवाणी अपनी सामाजिक प्रतिबद्वता को स्वीकार करता है। देश भर में बिछे रेडियो चैनलों के जाल के बावजूद लगातार यह महसूस किया जाता रहा कि कुछ है जो छूट रहा है, छोटे समुदायों के प्रसारण हितों और अधिकारों का पूर्णतया संरक्षण नहीं हो पा रहा है। सम्भवतः इसीलिए भारत में सामुदायिक रेडियो को वैधानिक मान्यता मिलते ही कई समुदायों का ध्यान इस ओर गया है।

किसी छोटे समुदाय द्वारा संचालित कम लागत वाला रेडियो स्टेशन जो समुदाय के हितों, उसकी पसंद और समुदाय के विकास को दृष्टिगत रखते हुए गैर–व्यावसायिक प्रसारण करता है, सामुदायिक रेडियो केन्द्र (स्टेशन) कहलाता है। यह संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। सामुदायिक रेडियों, सार्वजनिक सेवा और वाणिज्यिक मीडिया से अलग प्रसारण का महत्वपूर्ण तीसरा स्तर है। यह स्थानीय लोगों को उनके जीवन से संबन्धित मुद्दों को स्वर देने के लिए एक मंच मुहैया कराता है। ऐसे सामुदायिक रेडियो स्टेशन द्वारा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, सामुदायिक विकास, संस्कृति सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रसारण के साथ–साथ समुदाय के लिए तात्कालिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा सकता है ताकि उनकी चिंताओं को आवाज देने के लिए सशक्त माध्यम बन सके।

2. सामुदायिक रेडियो के लाभ

भारत में सामुदायिक रेडियो की लहर 90 के दशक में ही पैदा हो गई थी, जब 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 'रेडियो तरंगें जनता की संपत्ति हैं।' हालांकि, यह एक अच्छी खबर जरूर थी, लेकिन शुरूआती दौर में सिर्फ शैक्षिक स्तर पर ही ऐसे स्टेशनों को खोलने की इजाजत मिली थी। जिसके तहत चैन्नई स्थित अन्ना विश्वविद्यालय का अन्ना एफएम पहला कैंपस सामुदायिक रेडियो बना, जिसका प्रसारण 01 फरवरी 2004 से आरम्भ हुआ और जिसके सभी कार्यक्रम आज भी विश्वविद्यालय के छात्र ही तैयार करते हैं। सामुदायिक रेडियो के प्रमुख लाभ निम्न हैं।

[1]प्रधान वैज्ञानिक (कृषि प्रसार), भाकृअनुप–कृषि तकनीकी अनुप्रयोग संस्थान, जोधपुर (राजस्थान)।
ई–मेलः s.mohar.meena@gmail.com; Mobile: 88758-27538
[2]निदेशक, भाकृअनुप–कृषि तकनीकी अनुप्रयोग संस्थान, जोधपुर (राजस्थान)।

- सामुदायिक रेडियो पर प्रसारण स्थानीय भाषाओं और बोलियों में होता है, अतः लोग इससे आसानी से जुडने में समर्थ होते हैं।
- सामुदायिक रेडियो, विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को मजबूत करने की क्षमता रखता है।
- सामुदायिक रेडियो जहां, प्रत्येक राज्य अपनी अलग भाषा और सांस्कृति विरासत का कोष लिये है वहीं स्थानीय कलाकारों को समुदाय के समक्ष उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए मंच मुहैया कराता है।
- कृषि, शिक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक सामाजिक बदलाव व सशक्तिकरण के रूप में सामुदायिक रेडियो एक आदर्श उपकरण है।

हालांकि, इसकी असल अहमियत का पता काफी पहले से है। फिर भी आज के समय में इसकी महत्ता और बढ़ गई है। उदाहरणः

(अ) सुनामी के वक्त इसका भरपूर इस्तेमाल हुआ, जब प्रसारण के तमाम हथियार ढीले पड़ गए थे। इसी सामुदायिक रेडियो की वजह से ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में करीब 14 हजार लापता लोगों को आपस में जोड़ा जा सका था।

(ब) यहीं नहीं केदारनाथ की तबाही के दौरान भी सामुदायिक रेडियो का कमाल देखने को मिला था, जब रेडियो हेनलवाणी, कुमाउ वाणी और मंदाकिनी की आवाज जैसे सामुदायिक रेडियो को सुनकर सेना के जवान संकट में फंसे लोगों का पता लगाते थे।

आपातकाल और त्रासदी के दौरान ही नहीं, सामान्य हालात में भी लोगों को अहम जानकारियाँ मुहैया कराने में भी सामुदायिक रेडियो अब तक काफी कारगर साबित हुआ है। इसके कुछ उदाहरण हैं–आंध्र में हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर पस्तापुर गाँव का सामुदायिक रेडियो और छत्तीसगढ़ का 'सीजीनेट स्वरा'। एक तरफ पस्तापुर गाँव का सामुदायिक रेडियो गरीब महिलाओं के लिए खेतीबाड़ी की सूचना देने के साथ–साथ उनकी एक आवाज बन कर उभरा है, तो वहीं दूसरी तरफ 2000 सिटिजन जर्नलिस्ट की मदद से चलने वाला 'सीजी नेट स्वरा' सामुदायिक रेडियो की पहुंच आज छत्तीसगढ़ के 50 हजार लोगों से ज्यादा हो चुकी है। इनकी तरह देश में कई और भी सामुदायिक रेडियो हैं जो अपने समुदाय की आवाज बन चुके हैं और इसकी असीम शक्ति से आम लोगों को वाकिफ करा रहे हैं।

3. सामुदायिक रेडियो की समस्याएं

सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के वजूद पर आज कई तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। इनमें अन्य बातों के अलावा आमदनी और विज्ञापन की मुश्किलें शामिल हैं। कई स्टेशन पिछले कुछ सालों में बंद हुए हैं। ऐसे रेडियो स्टेशनों के लिए केंद्र के स्तर से फंड नहीं मिल पाता और इनके लिए फंड जुटाने को लेकर कई कड़े नियम भी हैं। ऐसे में सामुदायिक रेडियो के लिए आवेदन देना भले ही आसान हो, लेकिन लाइसेंस हासिल कर लेना और फिर उसे लंबे समय तक चला पाना किसी परीक्षा से कम नहीं है।

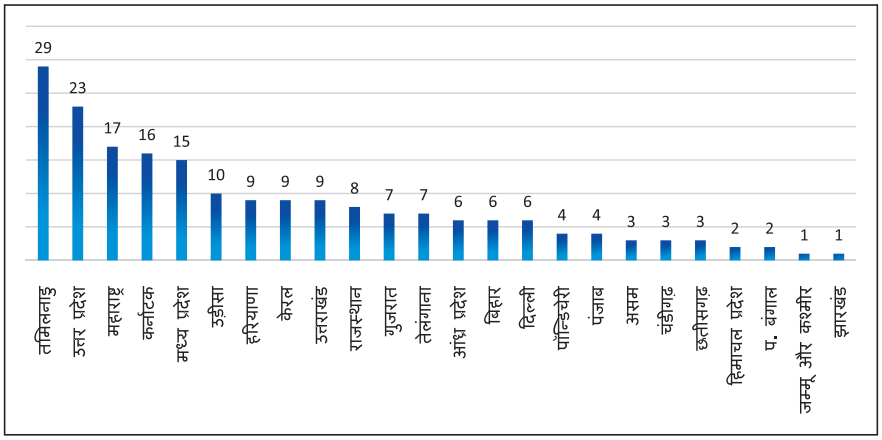

स्त्रोत–सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
http://mib.nic.in/WriteReadData/documents/Operational_._1.....pdf 21/01/2017

लेकिन, अगर देर–सवेर लाइसेंस मिल भी जाता, तो भी उनकी समस्याएं कम नहीं होती क्योंकि, 12 किलोमीटर के दायरे की सीमा तक में बंधे सामुदायिक रेडियो के साथ यह शर्त भी जुड़ी होती है कि उसके करीब 50 प्रतिशत कार्यक्रमों में स्थानीयता हो और जहां तक संभव हो, वे स्थानीय भाषा में हों। एक घंटे में 5 मिनट के विज्ञापनों की छूट तो है लेकिन प्रायोजित प्रोग्रामों की अनुमति नहीं है।

4. सामुदायिक रेडियो की प्रक्रिया

16 नवम्बर 2006 को भारत सरकार द्वारा एक नई कम्युनिटी रेडियो नीति को अधिसूचित किया गया। इसके अनुसार गैर–व्यावसायिक संस्थायें, जैसे स्वयंसेवी संस्थायें, कृषि विश्वविद्यालय, सामाजिक संस्थायें, भारतीय कृषि अनुसंधान की संस्थायें, कृषि विज्ञान केन्द्र तथा शैक्षणिक संस्था सामुदायिक रेडियो के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती हैं। ऐसी पंजीकृत संस्थायें जो कम से कम तीन वर्षों से सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही हों, सामुदायिक रेडियो के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए कोई लाइसेंस फीस देय नहीं है। आवेदक को रु 2500/– के मामूली प्रोसेसिंग शुल्क के अतिरिक्त रु 25,000/– की बैंक गारंटी जमा करनी होती है। लाइसेंस मिलने पर इन्हें 100 वॉट के एफएम ट्रांसमीटर के जरिए प्रसारण करने की अनुमति मिलती है। इसका एंटेना अधिकतम 30 मीटर ऊँचाई तक स्थापित किया जा सकता है। ऐसे ट्रांसमीटर की पहुँच 12 किमी के घेरे तक सीमित होती है। केन्द्रों को अपने आधे कार्यक्रम यथासंभव स्थानीय भाषा या बोली में, स्थानीय स्तर पर ही बनाने होते हैं। भारत में निजी एफएम और कम्युनिटी रेडियो पर अब तक समाचारों के प्रसारण की अनुमति नहीं हैं। एक घंटे के प्रसारण समय में पाँच मिनट के विज्ञापन बजाए जा सकते हैं। प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं है किन्तु राज्य अथवा केन्द्र सरकार से प्रायोजित कार्यक्रम प्राप्त होने की दशा में इन्हें प्रसारित किया जा सकता है। वर्तमान समय में 200 सामुदायिक रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 76 गैर–सरकारी संगठनों द्वारा, 109 शैक्षणिक संस्थाओं और 15 राज्य कृषि विश्वविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा संचालित हो रहे हैं।

5. सामुदायिक रेडियो की वर्तमान स्थिति

सामुदायिक रेडियो धीरे–धीरे एक नए जमाने के मीडिया का रूप लेता जा रहा है। अब जरूरत है तो बस इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने की और सरकार को लाइसेंस प्रक्रिया को आसान करने की। लाइसेंस प्रक्रिया आसान होने से दूर–दराज के गांवों में स्थित गैर–सरकारी संस्थान भी आवेदन कर सकेंगे और समाज में जागरुकता फैलाने में एक सशक्त और कारगर माध्यम के तौर पर इस्तेमाल हो सकेगा।

सारांश

सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की भाषा स्थानीय होने के कारण इसकी पहुँच शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक है। सामान्य व असामान्य हालात में लोगों को अहम जानकारियाँ मुहैया कराने में सामुदायिक रेडियो काफी कारगर साबित हुआ है। वर्तमान युग डिजीटलीकरण का है इसलिए रेडियों को भी डिजीटलीकरण की आवश्यकता है। वर्तमान में रेडियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और सरकार को लाइसेंस प्रक्रिया को आसान करने की आवश्यकता है।

सामुदायिक रेडियो केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र, टोंक (राजस्थान)